न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ़बास जिला (अलवर)

अध्याशितः— श्री गंगाधर मीणा आर0ए0एस

प्रा0पत्र सं0	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
06/2022	4.02.22	14.12.2022

उनवान

1. गीताकंवर बेवा पूरणसिंह
2. श्रविसिंह पुत्र पूर्ण सिंह
3. हंसाबाई पुत्री पूर्णसिह नाबा0 जर्ये सरपरस्त माता गीताकंवर रतनवाई पुत्री भवरसिंह जर्ये मु0आम गीता कंवर कोम राजपूत नि0 बसई जगता तहसील किशनगढवास हाल निवासी बहादुरपुर तहसील व जिला अलवर राज0। :— वादीयाः—

बनाम

1. प्यारेलाल (मृतक)

1/1— मनोहरलाल

1/2—संतराम

1/3—नारायण प्रसाद (मृतक)

1/4—गोरी शकर पुत्रान प्यारेलाला

2. हजारीलाल पुत्र बद्रीप्रसाद कोम महाजन निवासी ग्राम बसई जगता तहसील किशनगढबास जिला अलवर।

:— प्रतिवादीगणः—

दावा तकासमा मय हुक्मइस्तनाई दवामी

मु0नं0 318/13

नया हालमुकदमा नं0 —127

निर्णय दिनांक 04.01.2022

प्रार्थना पत्र 9 नियम 13 जा0दी0

उपस्थितिः— श्री अजयकृष्ण व्यास वकील प्रार्थीगण की ओर से।

श्री बालकृष्ण वकील अप्रार्थी/वादी की ओर से।

निर्णय

पत्रावली पेश हुई । प्रकरण के सुक्ष्म वृतांत निम्न प्रकार से हैः— प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 13 जा0 दी0 पेश कर निवेदन किया है कि अनुवान उक्त का शीर्षक का वाद न्यायालय श्रीमान के समक्ष विचाराधीन था जिसकी गत तारीख

दिनांक 24.11.21 नियत थी। उस वक्त राजस्व कैम्प अभियान 19.1.21 नियत की गयी। इन्ही पक्षकारान के दरम्यिान दुसरा मुकदमा मनोहरलाल बनाम गीताकदर दिवादस्पद आराजी का न्यायालय श्रीमान मे विचारधीन था जिसमें भी गत पेशी दिनांक 24.11.21 नियत थी। उसमें भी इकजाई पेशी दिनांक 19.01.22 नियत की गयी थी।

उपरोक्त अनुवान का वाद दिनांक 27.3.2017 को अदम हाजरी अदम पैरवी न्यायालय श्रीमान मे खारिज किया जाकर पत्रावली को फैसल शुमार कर दाखिल दफ्तर की गयी तत्पश्चात पत्रावली दाखिल दफतर होने के कारण कभी सुनवाई पर नही आयी, तथा प्रकरण मे प्रतिवादी नारायण प्रसाद करीब ढेढ वर्ष पूर्व फौत हो चुका था जिसके वारिसान को भी रिकार्ड पर नही लिया गया। जबकि नारायण प्रसाद के वारिसान क्रमशः कृष्णादेवी पत्नि नारायण प्रसाद व अनिल कुमार पुत्र नारायण प्रसाद मौजूद है मृतक व्यक्ति के विरूद्ध विधि विरूद्ध एक पक्षीय डिक्री पारित की गयी है।

वकील प्रार्थी ने आज पेश किया दर्ज रजि0 हो अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब हो दिनांक 23.8.17 की पेशी नियत की गयी। तत्पश्चात प्रार्थना पत्र मे प्रार्थी द्वारा तलबाना पेश ना करने पर अंतिम अवसर दिया गया।। उसके पश्चात तलब का कोई तलबाना पेश नही किया गया और प्रार्थना पत्र की पत्रावली में तारीख पेशी लगती रही और बिना अप्रार्थीगण/ प्रतिवादीगण को इत्तला किये प्रार्थना पत्र की अवलोकन करने पर पाया कि पोस्टल रसीद मृतक प्यारेलाल के नाम की जो प्यारेलाल प्रतिवादी सन् 2005 मे ही फोत हो चुका था तथा जिसके वारिसान सन् 2005 मे मे ही रिकार्ड पर आ चुके है। उनके नाम कोई नोटिस अथवा सम्मन ना तो प्रार्थी ने पेश किया, ओर ना ही अप्रार्थीगण की कोई इत्तला कराई दूसरी रसीद जो हजारीलाल की प्रस्तुत की गयी उस पर भी पता गलत लिखा गया। इतना ही नही प्रार्थना पत्र की आदेशिका दिनांक 20.9.2021 में यह लिखते हुये कि पूर्व आदेशिका दिनांक 19.6.2019 को वकील प्रार्थी द्वारा पो0ओ0 रसीद पेश कर दी थी। लेकिन अप्रार्थीगण की ओर से कोई उप0 नही हुआ , अप्रार्थी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लायी जाकर पत्रावली वास्ते बहस नियत की जानी थी लेकिन आदेशिका दुरूस्त की जाती है प्रार्थी की एक पक्षीय बहस सुनी गई प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है पत्रावली फैसल सुमार हो ।

जबकि दिनांक 19.6.2019 के आदेशिका अनुसार प्रार्थना पत्र मूल पत्रावली के साथ संलग्न पेश होकर दिनांक 3.7.19 को पेश होने की आदेशिका लिखी हुई है। दिनांक 20.9.2019 तक मूल पत्रावली वाद प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न नही थी ओर ना ही प्रार्थना पत्र विधिवत सम्यक रूप से समस्त अप्रार्थीगण को इत्तला ही हुई, ना उन सूचित किया गया। ओर ना उन्हे सूचित करने सम्वधित अथवा इत्तला करने सम्वधि कोई नोटिस/ सम्मन इत्यादि पत्रावली पर न होने के वावजूद भी दिनांक 20.9.2021 को बिना पक्षकारान को सुने वाद आदेशिका लिखी गई। आज पत्रावली पेश हुई दावा वादी पुनः नम्बर पर लिया जाकर दर्ज रजि0 हो। ओर पत्रावली को दिनांक 21.9.21 यानि दूसरे

दिन की तारीख पेशी नियत कर दिी गयी। ओर दूसरे दिन दिनांक 21.9.21 का प्रतिवादीगण की / अप्रार्थीगण की इत्तला की कोई जांच किये बिना यह लिखते हुये कि प्रतिवादी वकील की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ प्रतिवादी की एक पक्षीय कार्यवाही अमल मे लाई जाती है। जो दुर्भाग्य पूर्ण व विधि विरूद्व तरीके से आदेशिका लिखी गयी है। चूकि दिनांक 20.9.21 अथवा 21.9.21 की तारीख के सम्बध मे कभी कोई सूचना प्रतिवादीगण अप्रार्थीगण को सूचित नही की गयी थी। तथा दिनांक 04.1.22 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री विधि विरूद्व तरीके से पारित किया गया है। लिहाजा दिनांक 21.9.21 को एक पक्षीय कार्यवाही का आदेश व दिनाक 4.1.22 को एक पक्षीय निर्णय व डिक्री पारित करना खिलाफ कानून है। ऐसी सूरत मे एक पक्षीय आदेश व निर्णय व डिक्री अपास्त किये जाने योग्य है। अपास्त किया जावे।हम प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण को सर्वप्रथम तथाकथित एक पक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.9.21 एक पक्षीय डिक्री व निर्णय दिनांक 04.01.2022 को हल्का पटवारी से होने पर अपने अधिवक्ता से दूरभाष पर सम्पर्क किया, तथा मालूमात करायी तो उक्त निर्णय व डिक्री सर्वप्रथम हमारी जानकारी हुई मिन अधिवक्ता द्वारा नकल हेतु दिनांक 31.1.2022 का आवेदन किया जो नकल प्राप्त हुई जिससे प्रार्थना पत्र प्रार्थना पत्र साधाराण अन्दर मियाद तस्स्सुवर है।

अतः प्रार्थना पत्र पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण/अप्रार्थीगण बाबत खोले जाने इकतप्रफा ओदश दिनांक 21.9.2021 व डिक्री व निर्णय दिनांक 04.01.2022 सैटासाईड फरमाया जावे। एवं प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण /अप्रार्थीगण स्वीकार किया जाकर प्रतिवादीगण को हाजिर होने व पैरवी मुकदमा करने की इज्जात प्रदान की जावे।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर वादीगण/ अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। व मूल वादी की पत्रावली संलग्न प्रा0पत्र की गई।

वादीगण/प्रार्थीगण ने बाद न्यायालय हाजा में उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र का जवाब पेश कर निवेदन किया कि प्रार्थना पत्र गलत है स्वीकार नही है। दावा बाद सुनवाई दिनांक 04.01.2022 को न्यायालय श्रीमान द्वारा डिक्री किया गया। प्रार्थना पत्र रेस्टोरेशन की तामील सूचना प्रातिवादीगण पर सम्यक रूप से होने के बावजूद भी हाजिर न्यायालय नही होने पर उनके विरूद्व इकतरफा आदेश दिनांक 21.9.21 को पारित किये

गये है। ऐसी सुरत मे प्रतिवादीगण को डिक्री न्यायालय दिनांक 04.01.2022 को सैटासाईड कराने का हक प्राप्त नही है। प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे। तथा प्रतिवादीगण को इकतफा आदेश दिनांक 21.9.21 एवं डिक्री दिनांक 04.01.2022 का प्रतिदिन का उचित कारण दर्ज प्रार्थना पत्र नही किया है वो इकतरफा आदेश मे कब–कब ओर कहां कहा जाकर सम्पर्क किया प्रार्थना पत्र मे दर्ज नही किया। प्रतिवादीगण का कोई हित मुतनाजा आराजी पर नही रहे, ना ही वा काबिज आराजी पर रहे, ना आज ही है। ऐसी सूरत मे प्रार्थना पत्र प्रतिवादीगण काबिल खारिज है। अतः जवाब दर0 पेश कर निवेदन है कि प्रा0पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

हमने उभयपक्ष की बहस सुनी। वकील प्रार्थीगण/प्रति0 ने अपनी बहस मे प्रा0पत्र मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए बताया कि दिनांक 04.01.2022 को उक्त वाद गीताकंवर बनाम प्यारेलाल वादी का डिक्री किया हुआ है।जो दिनांक 27.3.2017 को पत्रावली अदम हाजरी मे खारिज किया गया है। इसका तात्पर्य यह रहा कि हम प्रतिवादी तो उपस्थित रहे। परन्तु वादी उप0 नही होने से पत्रावली खारिज कर दी गई।उसके बाद नियत अवधि मे रेस्टोरेशन प्रा0पत्र पेश होना चाहिए था। तथा उसके बाद पक्षकारो समयक रूप से तामिल होनी चाहिए थी। लेकिन रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र अन्दर मियाद भी पेश नही किया और ना ही उसके साथ लिमिटेशन प्रा0पत्र पेश किया। वादी ने प्रा0पत्र रेस्टोरेशन पेश की है उसमे प्यारेलाल को पक्षकार बनाया है। जबकि प्यारेलाल की मृत्यु हो चुकी है उसके वारिसान का पार्टी नही बनाया। नारायण की भी मृत्यु हो चुकी है।रेस्टोशन मे नारायण के वारिसान को पक्षकारन नही बनाया। तथा 20.9.21 की आदेशिका को रसीद पेश का लिखा गया एवं अप्रार्थी की ओर से कोई उप0नही। अतः उनकी एकपक्षीय कार्यवाही कर दी गई थी। लेकिन 19.6.19 मे उभयपक्ष की उपस्थिति दिखाई गई। जो रसीद पोस्ट ओ0 पेश की है वो प्यारेलाल प्रतिवादी सं0 1 की ग्राम बसई जगता की कराई है जो वहां रहता भी नही है। और प्रवितादी स0 2 की मृत्यु भी हो चुकि है अर्थात मरे हुए व्यक्ति की तामील रसीद पो0 ओ0 पेश है। 20.9.21 को एकपक्षीय कार्यवाही उन्ही रसीद पो0ओ0 से की गई। जो मृतक है। ओर मूलवाद नम्बर पर लेकर एकपक्षीय बहस दिनांक 04.01.2022 को वाद डिक्री कर दिया। उस समय प्रशासन गांवो के संग चल रहे थे तो हमको इकजाई तारीख 19.01.22 लग रही थी। क्योकि इन्ही पक्षकरो के मध्य ओर एक वाद मनोहरलाल बनाम गीताकवर विचाराधीन था तारीख पेशी दोनो की साथ–2 लगती थी। अतः वकील वादी ने जो तामिल करवाई वो मृतक व्यक्ति करवाई है तथा दावा मे एकपक्षीय कार्यवाही भी मृतक व्यक्ति की हुई है। डिक्री भी मृतक व्यक्ति के खिलाफ हुआ है। अतः इकपक्षीय कार्यवाही दिनांक 21.9.21 व डिक्री दिनांक 04.1.22 अपास्त किया जाकर पक्षकारान को सुनवाई का अवसर प्रदार करे। वकील प्रार्थी/ प्रतिवादीगण ने नजीर के रूप मे

एल डब्लू 2077(1) आरजे पेज 37, आरएलडब्लू 2007(1) आरजे पेज 1970, यूएलसी राज यूसी 2014 पेज 421, सीजे(सीआईवी) आरजे 2019 पेज 100 की ओर ध्यान दिलाया है।

वकील अप्रार्थीगण/वादीगण ने अपने जवाब में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बताया कि दावा न्यायालय हाजा ने दिनांक 04.01.2022 को डिक्री किया गया है। प्रतिवादीगण की तामील होने के बाद प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई है। प्रतिवादीगण को दावे की सूचना बाखूबी थी। दावा अंतिम बहस पर अदम हाजरी में खारिज हुआ है तथा इन्ही पक्षकारों के बीच एक दावा मनोहरलाल बनाम गीताकंवर विचाराधीन था। जिसमें वकील प्रतिवादीगण पैरवी करते थें। इन्होने जानबूझकर पैरवी नही की इसलिए प्रार्थीगण/प्रतिवादीगण का प्रार्थना पत्र काबिलें खारिज है।

हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अध्योपान्त अवलोकन किया । इस प्रकरण में मुख्यतः यह देख जाना है कि आया है कि आया प्रार्थीगण की तामील सही रूप से हुई या नही। पत्रावली मे सलंग्न तामील के अवलोकन से यह बाखूबी साबित है कि प्रतिवादी सं0 1 की तामील संलग्न है लेकिन जो दावा दायरी के समय ही मृतक था जिसका मूल वाद में लाल स्याही से अंकन कर उसके वारिसान का नाम अंकित किया हुआ है । लेकिन रेस्टोरेशन प्रार्थना पत्र के अवलोकन से यह तथ्य बाखूबी साबित होता है कि रेस्टोरेशन में मृतक प्यारेलाल के वारिसान को पक्षकार नही बनाया तथा तामील भी मृतक प्यारेलाल की करवाई है तथा एकपक्षीय कार्यवाही भी मृतक प्यारेलाल के विरूद्ध हुई है। मृतक के वारिसान की तामील नही हुई। प्रतिवादीगण की एकपक्षीय कार्यवाही गलत तामील होने से हुई क्योकि वादीगण को यह जानकारी थी कि प्रतिवादी सं0 1 की मृत्यु हो चुकी है फिर भी मृतक की तामील करवाकर उनके खिलाफ एक पक्षीय कार्यवाही कराकर दावा एक पक्षीय डिक्री करवा लिया। इस प्रकार प्रतिवादीगण की विधिवत रूप से तामील नही होने के कारण उनको सुनवाई का अवसर दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः न्यायालय प्रार्थना पत्र को स्वीकार योग्य पाता है।

अतः आदेश है कि :–

प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 9 नियम 13 जा0दी0 स्वीकार किया जाता है तथा डिक्री व निर्णय एकपक्षीय दिनांक 04.01.2022 अपास्त किया जाता है। दावे मं विधिवत सुनवाई हेतु प्रतिवादीगण को इजाजत प्रदान की जाती है। प्रार्थना पत्र फैसल सुमार होकर मूलवाद रहे। दावा दर्ज रजिस्टर होकर वास्ते बहस पत्रावली दिनांक 04.01.23 को पेश हो ।

(गंगाधर मीणा)
उपखण्ड मजिस्ट्रेट
किशनगढ़बास (अलवर)